

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(जिला राजस्व शाखा)
(ISO 9001: 2015 Certified)

। आदेश ।।

ज्ञापांक

/रा०

दुमका

दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड राँची।

विषय:-

नेशनल ग्रीन ट्रीव्यूनल पूर्वी बैंच कोलकाता में दायर ओ० ए०-14/2014 ई० जेड० रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के दायर वाद में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत वन भूमि में निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास, पुलिस लाईन, आउटडोर स्टेडियम, राजभवन, एस.पी. महिला महाविद्यालय एवं छात्रावास निर्माण में प्रयुक्त भूमि कुल रकवा- 38.21 एकड़ भूमि के समतुल्य मसलिया अंचल के मौजा लताबनी थाना नं० 15 खाता नं० 22 दाग नं० 823 अंश रकवा- 25.00 एकड़ किस्म पुरातन पतित एवं शिकारीपाड़ा अंचल के मौजा देदहा थाना नं०-10 खाता नं०-48 दाग नं०-01 अंश रकवा- 13.21 एकड़ किस्म- डूमरी संयुक्त रकवा- 38.21 एकड़ सरकारी भूमि क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-

नेशनल ग्रीन ट्रीव्यूनल पूर्वी बैंच कोलकाता में दायर ओ० ए०-14/2014 ई० जेड० रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के दायर वाद में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत वन भूमि में निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास, पुलिस लाईन, आउटडोर स्टेडियम, राजभवन, एस.पी. महिला महाविद्यालय एवं छात्रावास निर्माण में प्रयुक्त भूमि कुल रकवा-38.21 एकड़ भूमि के समतुल्य मसलिया अंचल के मौजा लताबनी थाना नं० 15 खाता नं० 22 दाग नं० 823 अंश रकवा- 25.00 एकड़ किस्म पुरातन पतित एवं शिकारीपाड़ा अंचल के मौजा देदहा थाना नं०-10 खाता नं०-48 दाग नं०-01 अंश रकवा- 13.21 एकड़ किस्म- डूमरी संयुक्त रकवा- 38.21 एकड़ सरकारी भूमि क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1.. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन में इसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह जमीन स्वतः राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायगी।

2. इस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कम्पनी सोसाइटी, सहकारी संस्था, ट्रस्ट, अन्य विभाग या अन्य किसी को किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए हस्तांतरण (स्थायी अथवा अस्थायी) आवासीय व्यवसायिक/औद्योगिक उपयोग अथवा किसी भी उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है।

3. जिस प्रयोजन के लिए भू-हस्तांतरण किया जा रहा है। उस भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए की जाय।

4. भू-हस्तांतरण के पश्चात् संबंधित विभाग को 6 (छः) माह के अन्दर कार्य प्रारंभ कराना होगा।

5. अन्य सभी शर्तें इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

१०१

उपायुक्त
दुमका।

ज्ञापांक 378 /रा० दुमका दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि चिन्हित भूमि का दखल दिहानी प्राप्त करने हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत करने की कृपा की जाय।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, मसलिया (दुमका)

प्रेषक,

पत्रांक...../रा0

अंचल अधिकारी,
मसलिया।

सेवा में,

अपर समाहर्ता,
दुमका।

मसलिया, दिनांक.....

विषय :

नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल पूर्वी बैंच कोलकाता में दायर ओ0ए0-14/2014 ई0 जेड0 रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में वन भूमि पर निर्मित मजीस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राजभवन, पुलिस उप महानिरीक्षक के आवास तथा महिला महाविद्यालय के छात्रावास के संयुक्त रकवा 38.21 एकड़ क्षतिपूरक वन रोपण हेतु अर्तविभागीय निःशुल्क भू हस्तान्तरण भूमि का दाखिल-खारीज करने के संबंध में।

प्रसंग :

भवदीय 1070/रा0, दिनांक 31.08.19

महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि मसलिया अंचल के मौजा- लताबनी थाना नं0- 15 खाता नं0-22 दाग नं0-823 अंश रकवा 25.00 एकड़ किरम-पुरातन पतित भूमि जो उपायुक्त, दुमका के ज्ञापांक 378/रा0, दिनांक 27.02.19 द्वारा क्षतिपूरक वन रोपण हेतु भूमि निशुल्क हस्तान्तरण, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को की गई थी, जिसकी निम्नलिखित विवरणी अनुसार पंजी-11 में दर्ज किया गया है :-

क्र0 सं0	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	दाग नं0	रकवा (एकड़ में)	पंजी-11 रैयत का नाम	भाग/पृष्ठ
1	लताबनी	15	22	823	25.00	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार	1/24

उपरोक्त वर्णित विवरणी ऑनलाईन डेटा बेस में जमाबंदी भाग-1 तथा पृष्ठ-24 पर दर्ज है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।


विश्वासभाजन


अंचल अधिकारी,
मसलिया।

ज्ञापांक 616...../रा0, दिनांक 26/9/19.

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका को उनके ज्ञापांक 3008, दिनांक 05.09.19 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अंचल अधिकारी,
मसलिया।
26/9/19



झारखंड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पंजी II प्रति

March 19, 2020

भाग वर्तमान	1	पृष्ठ संख्या	24
जिला का नाम	दुमका	अनुमंडल नाम	दुमका
मौजा का नाम	लताबनी	होल्डिंग संख्या	22
हलका का नाम	मसलिया	हलका- 02	09/0015
थाना नम्बर	0	खाता का प्रकार	-----
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड, -----			
-----झारखण्ड सरकार, जाति--			
खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
22	823	25 ऐ 0 डि 0 हे	लगान
	कुल परिमाण	25 ऐ 0 डि 0 हे	सेस
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साग से	साग सेस
		साग से	साग सेस
		लागत बकाया	लागत बकाया
		लागत साल	लागत साल
		रोड सेस बकाया	रोड सेस बकाया
		रोड सेस साल	रोड सेस साल
		शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस बकाया
		शिक्षा सेस साल	शिक्षा सेस साल
		स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस बकाया
		स्वास्थ्य सेस साल	स्वास्थ्य सेस साल
		कृषि सेस बकाया	कृषि सेस बकाया
		कृषि सेस साल	कृषि सेस साल
		250	362.5

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति
 यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
 किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
 प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें

